

प्ररूप

## कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रायगढ़ छ.ग.—496001


फोन/फैक्स 07762-220310 [Email-raigarhminingoffice@gmail.com](mailto:Email-raigarhminingoffice@gmail.com)

क्रमांक 1466/ख.लि.-1/रेत/2019,

रायगढ़ दिनांक 18/8/2019

### निविदा आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम-6 के तहत नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के माध्यम से रेत खदान समूहों के अन्तर्गत रेत उत्खनन पट्टा आबंटन किया जाना है, जिस हेतु अर्हता प्राप्त बोलीदार नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) में भाग ले सकता है। नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) हेतु बोली प्रारंभ करने की प्रारंभिक तिथि 09.09.2019 तथा अंतिम बोली तिथि 16.09.2019 इच्छुक बोलीदार खदानों का आबंटन हेतु निविदा की नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाईट [www.chhattisgarhmines.gov.in](http://www.chhattisgarhmines.gov.in) या [www.raigarh.gov.in](http://www.raigarh.gov.in), कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), संबंधित ग्राम/जनपद/जिला पंचायत भवन के सूचना पटल से प्राप्त कर सकता है।

  
कलेक्टर  
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

# कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रायगढ़ छ.ग.—496001

फोन/फैक्स 07762-220310 Email-raigarhminingoffice@gmail.com

क्रमांक 1467/ख.लि.-1/रेत/2019,

रायगढ़ दिनांक 18/9/2019

Event No. - .....

## निविदा आमंत्रण सूचना

### गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन पट्टा के आबंटन की नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रपत्र

सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम-6 के तहत नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के माध्यम से रेत खदान समूहों के अन्तर्गत रेत उत्खनन पट्टा आबंटन किया जाना है, जिस हेतु अर्हता प्राप्त बोलीदार नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) में भाग ले सकता है।

नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) हेतु बोली, दिनांक 9.9.2019 से 16.9.2019 (07 दिवस) तक जमा की जाएगी। बोली केवल बंद लिफाफा के माध्यम से संबंधित जिला कार्यालय में स्वीकार की जाएगी।

उत्खनन पट्टा आबंटन हेतु प्रस्तावित समूहों की जानकारी :-

जिले का नाम - रायगढ़

क्र.	खदान समूह का नाम	तहसील	खदान कोड/ग्राम/ग्राम पंचायत	रकबा (हेक्टेयर में)	ख. नं.	निविदा प्रक्रिया शुल्क (राशि)	उच्चतम निर्धारित मूल्य (सीलिंग प्राईस)	बोली प्रतिभूति (बिड सिक्यूरिटी)	कार्यपालन प्रतिभूति (परफॉरमेंस सिक्यूरिटी)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11.
						10000/-	.....	1. परफारमेस सिक्वोरिटी का 20 प्रतिशत 2. 60 प्रतिशत से कम बोली लगाने पर परफारमेस सिक्वोरिटी का 40 प्रतिशत	प्रत्येक खदान के लिये 100000 प्रति हेक्टेयर या उसके किसी भाग के लिये
1	सारंगढ़ (अ)	सारंगढ़	अ-1 (जसरा)/ जसरा	2.333	224 एवं 225	10000.00	92.00	तदैव	300000.00
			अ-2 (बरभांठा "ब")/ बरभांठा	1.667	1,2,3, 4,5, एवं 37	10000.00	92.00	तदैव	200000.00

क्र.	खदान समूह का नाम	तहसील	खदान कोड/ग्राम/ग्राम पंचायत	रकबा (हेक्टेयर में)	ख. नं.	निविदा प्रक्रिया शुल्क (राशि)	उच्चतम निर्धारित मूल्य (सीलिंग प्राईस)	बोली प्रतिभूति (बिड सिक्यूरिटी)	कार्यपालन प्रतिभूति (परफॉरमेंस सिक्यूरिटी)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11.
2	धरमजयगढ़ (ब)	धरमजयगढ़	ब-1/गोलाबुड़ा /गोलाबुड़ा	4.900	558	10000.00	92.00	तदैव	500000.00
			ब-2/ठाकुरपोड़ी /ठाकुरपोड़ी	2.449	283	10000.00	92.00	तदैव	300000.00
			ब-3/पुसल्दा /पुसल्दा	4.955	323 /1	10000.00	92.00	तदैव	500000.00
			ब-4/कंचनपुर /कंचनपुर	5.696	14	10000.00	92.00	तदैव	600000.00
3	तमनार (स)	तमनार	स-1/जरेकेला /जरेकेला	4.000	605	10000.00	92.00	तदैव	400000.00
			स-2/कचकोबा /कचकोबा	4.832	603, 243	10000.00	92.00	तदैव	500000.00
			स-3/कसडोल /कसडोल	3.500	46	10000.00	92.00	तदैव	400000.00
4	तमनार (द)	तमनार	द-1/बुड़िया /बुड़िया	4.900	18	10000.00	92.00	तदैव	500000.00
			द-2/झिंकाबहाल /टिहलीरामपुर	4.250	97	10000.00	92.00	तदैव	500000.00
			द-3/महलोई /महलोई	4.000	125	10000.00	92.00	तदैव	400000.00

## 1.0 महत्वपूर्ण

- 1.1 बोली लगाने वाला प्रत्येक व्यक्ति बोली लगाने के पूर्व रेत खदान की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता और गुणवत्ता, पहुंच मार्ग (निजी भूमि होने की स्थिति में) आदि के बारे में पूर्ण रूप से स्वयं को आश्वस्त कर लें। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति/शिकायतें नीलामी के किसी भी चरण में स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 1.2 प्रत्येक समूह के लिये पृथक-पृथक बोली प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। नीलामी में प्रस्तुत बोली में समूह विशेष के नाम का उल्लेख नहीं होने की दशा में या एक ही बोली प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रस्तुत बोली प्रथम समूह के लिए ही मान्य की जावेगी तथा इस पर किसी भी प्रकार की दावा-आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगा।
- 1.3 नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) से उत्खनन पट्टा प्राप्ति से संबंधित दस्तावेज एवं अन्य सुसंगत जानकारी जिला कार्यालय, खनि शाखा रायगढ़ से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकेगी।

## 2.0 बोली प्रतिभूति एवं कार्यपालन प्रतिभूति :-

- 2.1 बोली प्रतिभूति एवं कार्यपालन प्रतिभूति छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के तहत प्रस्तुत किया जाना होगा अन्यथा नहीं।
- 2.2 उच्चतम निर्धारित मूल्य से 60 प्रतिशत से कम की बोली लगाने की स्थिति में नीलामी के लिए निर्धारित बोली प्रतिभूति (Bid Security) से दोगुना राशि बोली प्रतिभूति के रूप में जमा करनी होगी।

- 2.3 कंडिका 2.2 के तहत 60 प्रतिशत से कम की बोली लगाने की स्थिति में दुगुनी राशि बोली प्रतिभूति के रूप में जमा न पाये जाने पर बोली अपूर्ण एवं निरस्त माना जाएगा।
- 2.4 उच्चतम निर्धारित मूल्य से किसी भी स्थिति में 50 प्रतिशत के नीचे बोली नहीं लगाई जा सकेगी।
- 2.5 उच्चतम निर्धारित मूल्य के 50 प्रतिशत से कम बोली प्रस्तुत करने पर उक्त बोली स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- 2.6 राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम 9(र) के अंतर्गत जारी निर्देश के अनुसार "जिले में, एक व्यक्ति/फर्म/कंपनी द्वारा अधिकतम किसी एक रेत खदान समूह हेतु ही बोली स्वीकार्य की जायेगी। प्रदेश में एक व्यक्ति/फर्म/कंपनी द्वारा प्रस्तुत बोलियों में से अधिकतम 05 खदान समूहों के लिये ही बोली स्वीकार की जायेगी। इस हेतु उक्त व्यक्ति/फर्म/कंपनी द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। किसी व्यक्ति/फर्म/कंपनी को जिला स्तर में एक समूह से अधिक एवं प्रदेश स्तर पर 05 से अधिक समूहों में अधिमानी बोलीदार घोषित होने की स्थिति में प्रस्तुत अन्य बोली, स्वमेव निरस्त मानी जायेगी"।

### 3.0 उत्खनन पट्टा प्रदान करने हेतु पात्रता –

- 3.1 किसी भी व्यक्ति को तब तक साधारण रेत का उत्खनन पट्टा प्रदान नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति छत्तीसगढ़ का मूल निवासी न हो या ऐसी कोई कंपनी न हो जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का सं० 18) की धारा 2 के खण्ड (20) के अधीन यथा परिभाषित है और ऐसी शर्तों को पूरी न करता हो, जो इन नियमों द्वारा विहित है। परन्तु कंपनी होने की स्थिति में उसके तीन चौथाई सदस्य छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- 3.2 नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रक्रिया में भाग लेने संबंधी पात्रता का अवधारण नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार किया जायेगा और ऐसे मात्र बोलिदारों को तकनीकी अर्हित बोलीदार कहा जाएगा। तकनीकी अर्हता प्राप्त नहीं होने वाले व्यक्ति या कंपनी द्वारा प्रस्तुत बोली स्वमेव निरस्त मानी जाएगी।
- 3.3 अधिमानी बोलिदार का विनिश्चय केवल तकनीकी अर्हित बोलिदारों द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय बोलियों के आधार पर किया जायेगा।

### 4.0 नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) –

- 4.1 नीलामी, पारदर्शी पद्धतियों के अनुपालन संबंधी राज्य शासन एवं संचालक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) की प्रक्रिया पूर्ण किया जायेगा।
- 4.2 बोली प्रस्तुत करने हेतु अर्हित दस्तावेज एवं उद्धृत बोली, बंद लिफाफा में अलग-अलग जमा किया जाना होगा। प्रथम लिफाफा में एन.आई.टी. में उल्लेखित अर्हित दस्तावेज रहेगा। द्वितीय

लिफाफा में वित्तीय बोली रहेगी जिसे प्रथम लिफाफा के भीतर ही डाल कर प्रस्तुत किया जायेगा।

4.3 नीलामी (रिजवर्स आक्सन) में बोली हेतु लिफाफा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :-

4.3.1 एक बड़ा लिफाफा (साईज सी-4) के भीतर दो छोटा लिफाफे (साईज सी-5) होंगे, दोनो छोटे लिफाफे ए एवं बी से चिह्नित होंगे।

4.3.2. लिफाफा ए के भीतर निम्न आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगे।

I- पेनकार्ड/टीन/जी.एस.टी. नं.

II - आधारकार्ड

III - मूल निवास प्रमाण पत्र

IV - खनिज राजस्व बकाया न होने एवं जिले में एक से अधिक तथा प्रदेश में 5 से अधिक रेत खदान समूहों का रेत उत्खनन पट्टा प्राप्त न करने संबंधी शपथ पत्र

V- बोली प्रतिभूति डिमांड डाफ्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाना होगा।

VI - फर्म/कंपनी होने की स्थिति में शपथकर्ता के पक्ष में विधिवत् पावर आफ ऑर्टनी/हस्ताक्षर हेतु प्राधिकार पत्र

4.3.3. लिफाफा बी के भीतर प्रस्तावित रेत खदान समूह जिसमें बोलीदार नीलामी में भाग लेना चाहता है, उसके सीलिंग प्राईज के आधार पर प्रति घनमीटर की दर से निर्धारित प्ररूप में रिवर्स वित्तीय बोली का उल्लेख कर प्रस्तुत करेगा।

## 5.0 बोली लगाने के मानक -

5.1 जिला स्तरीय समिति द्वारा एक निश्चित कीमत निर्धारित करेगा, जिसे उच्चतम निर्धारित मूल्य (Ceiling Price) कहा जाएगा। यह राशि निकास किये जाने वाले खनिज के लिए प्रति घन मीटर मानक इकाई होगी।

5.2 बोलीदार द्वारा नीलामी राशि के रूप में राज्य सरकार को भुगतान करने के प्रयोजन के लिए, पट्टा क्षेत्र से निकास किये जाने वाले खनिज हेतु नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के लिए निर्धारित रूपए प्रति घन मीटर उच्चतम निर्धारित मूल्य (Ceiling Price) से कम राशि उद्धृत की जाएगी।

5.3 नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) हेतु बोली लगाने के लिये राशि का मानक ईकाई रुपये में होगा।

5.4 नीलामी राशि, प्रेषित किये गये प्रति घन मीटर खनिज की मात्रा पर राज्य शासन को देय होगी।

## 6.0 बोली लगाने की प्रक्रिया -

6.1 निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी), बोली लगाने की प्रक्रिया आरंभ होने की तिथि से 21 दिवस पूर्व जिले के वेबसाईट/प्रादेशिक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन तथा जिला कार्यालय (खनिज शाखा), संबंधित ग्राम/जनपद/जिला पंचायत भवन के सूचना पटल पर प्रदर्शित होगी। जो निःशुल्क अवलोकनार्थ होगा।

- 6.2 उत्खननपट्टा की नीलामी में भाग लेने के लिये, आवेदक को छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम 6 में यथा विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करना होगा। इस बाबत बोलीदार को नीलामी में निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप आधार कार्ड/पैन/जीएसटीएन/छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाणपत्र (यथास्थिति व्यक्तिगत अथवा फर्म, एसोसिएशन अथवा कंपनी के संबंध में) तथा सौ रूपये मूल्य के स्टाम्प पेपर में निर्धारित शपथ पत्र, बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।
- 6.3 संभावित बोलीदारों को नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के दस्तावेजों के अध्ययन हेतु आमंत्रण सूचना के प्रकाशन के पश्चात् 21 दिन की कालावधि प्रदान की जाएगी। जिसके पश्चात् बोली लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
- 6.4 वह बोलीदार जो इस एनआरटी के कंडिका क्रमांक 2.2 से 2.5 में उल्लेखित प्रावधान के अनुरूप सिलिंग प्राईज से न्यूनतम बोली प्रस्तुत करने पर अधिमानी बोलीदार के रूप में घोषित किया जाएगा।
- 6.5 दो या अधिक तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों द्वारा प्रस्तुत समरूप बोली की दशा में उनके बीच लॉटरी पद्धति अनुसार अधिमानी बोलीदार का चयन किया जाएगा।
- 6.6 यदि नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) में एक ही वैध बोली प्राप्त होती है तो बोली के लिए नियत तिथि में अतिरिक्त सात दिवस की वृद्धि का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा और यदि पुनः एक ही बोली प्राप्त होती है तो उसे स्वीकार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा।
- 6.7 लिखित में कारण अंकित करते हुए बोली को किसी भी चरण में निरस्त करने का अधिकार कलेक्टर को होगा।
- 6.8 बोलीदार नीलामी हेतु अंतिम तिथि (बिड ड्यू डेट) तक अपनी पूर्व में प्रस्तुत की गई बोली में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकेगा।
- 6.9 जिला कार्यालय द्वारा न्यूनतम बोली प्रस्तुतकर्ता को लिखित में एवं ई-मेल के माध्यम से अधिमानी बोलीदार (प्रीफर्ड बिडर) घोषित किये जाने की सूचना दिया जायेगा।
- 6.10 अधिमानी बोलीदार घोषणा तिथि के 15 दिवस के भीतर, बोलीदार द्वारा बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. के रूप में उपरोक्त दर्शित तालिका के कॉलम क्रमांक 11 अनुसार कार्यपालन प्रतिभूति (परफॉरमेंस सिक्यूरिटी) जमा किया जाना होगा।
- 6.11 अधिमानी बोलीदार द्वारा कंडिका 6.10 के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यपालन प्रतिभूति प्रस्तुत किये जाने पर अधिमानी बोलीदार को आशय पत्र जारी किया जायेगा।
- 6.12 अधिमानी बोलीदार को जारी आशय पत्र में उल्लेख अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर शर्तों/दस्तावेजों को पूर्ण करने उपरांत सफल बोलीदार घोषित करते हुये उत्खननपट्टा स्वीकृत किया जायेगा।
- 6.13 अधिमानी बोलीदार द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर कार्यपालन प्रतिभूति जमा नहीं किये जाने पर उसके द्वारा जमा बोली प्रतिभूति जब्त योग्य होगी।
- 6.14 नीलामी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर विवाद की स्थिति होने पर कलेक्टर द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

#### 7.0 बोलीदार द्वारा नीलामी हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज निम्नानुसार है :-

- 7.1 पैनकार्ड/टिन नंबर/जी.एस.टी नंबर
- 7.2 शपथ पत्र (एफिडेविट)
- 7.3 फर्म अथवा कंपनी की स्थिति में शपथकर्ता के पक्ष में विधिवत् Power of Attorney/Authorization letter.

- 7.4 छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र।  
7.5 आधार कार्ड (निवास प्रमाणीकरण हेतु)

8.0 नीलामी (रिवर्स ऑक्सन) में भाग लेने हेतु वित्तीय बोली का प्ररूप  
(बोलीदार द्वारा स्वयं भरा जाना होगा)

नीलामी (रिवर्स ऑक्सन) की निविदा क्रमांक	रेत खदान समूह का नाम	रेत खदानों का नाम	वित्तीय बोली प्रति घनमीटर में
		_____ _____ _____	

बोली प्रस्तुति दिनांक .....

बोलीदार के हस्ताक्षर

नाम .....

पता .....

फोन न./मोबा.....


ई-मेल आई.डी.....

  
कालिंदर  
खैरगढ़, छ.ग.

परिशिष्ट-‘एक’

नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के लिए समय सारिणी

क्र०	गतिविधियां	समयसीमा
(1)	(2)	(3)
1.	नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) आमंत्रण सूचना (एनआईटी) का वेबसाईट एवं सूचना पटल पर प्रकाशन	19.08.2019
2.	नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) हेतु बोली लगाने की आरंभिक तिथि	09.09.2019
3.	नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) हेतु बोली लगाने की अंतिम तिथि	16.09.2019
4.	नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) खोलने तथा तकनीकी अर्हताधारी बोलीदारों की घोषणा की तिथि	17.09.2019
5.	निविदा खोलने एवं अधिमानी बोलीदार घोषित करने की तिथि	17.09.2019 (अपरान्ह 3.00 बजे)
6.	कार्यपालन प्रतिभूति जमा करने की तिथि	21.09.2019
7.	आशय पत्र जारी करने की तिथि	23.09.2019

  
कलेक्टर  
रायगढ़, छ.ग.




रजिस्ट्रार के कार्यालय में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक  
 दिनांक 16-08-2019 का कार्यवाही विवरण :-

आज दिनांक 16-08-2019 को रजिस्ट्रार के कार्यालय में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक अपर कलेक्टर, राय  
 की अध्यक्षता में की गई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी  
 उपस्थित हुए :-

सं. क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1-	श्री आर. ए. कुदवंशी	अपर कलेक्टर
2-	श्री सवित्र मिश्रा	सहायक कलेक्टर
3-	श्री प्रदीप कुमार कुर्मी	ज.सू.का., जिलापंचा
4-	श्री एच. एस. नाथ	उप-संचालक (ख.प.)
5-	श्री रितेश कुमार वर्मा	अ.वि.अ. (रा) सारंगढ
6-	श्री एम. एन. महापात्र	अ.वि.अ. (आ.पां.क.)
7-	श्री सुरेश सिंह नायक	अ.वि.अ. (लो.नि.वि.)
8-		सहा.आ.म. (C.E-C.B)
9-	श्री शिवीश रायचंद	अ.वि.अ. (रा.) सराय
10-		

बैठक में सर्वप्रथम उप-संचालक (ख.प.) द्वारा  
 समिति के समक्ष जिला में विद्यमान प्रत्येक खदानों की  
 भौगोलिक स्थिति एवं निकासी मार्ग तथा खदानों  
 के तैयार किये गये समूहों के बारे में विस्तृत जानकारी  
 प्रस्तुत किया गया। साथ ही अवगत कराया गया कि  
 खदानों में जोतों से रेत की भरई हो प्रकार से किया  
 जाता है, जिसमें एक समी मकनार्जित रूप से लईवा वाहन  
 से तथा दूसरा समूहों द्वारा हाथ से डिपॉजिट  
 डाली से रेत भरई का कार्य किया जाता है।



बाँटने के लिए खासियत लॉडिंग हेतु वापसिक/मासिक  
 लॉडिंग कर लेने वाला व्यय, प्रथमक मजदूरी एवं प्रति दूध  
 लॉडिंग व्यय प्रति दूध पुरवदार का लाभ इत्यादि की  
 दृष्टिकोण रखते हुये जिला स्तरीय समिति द्वारा विचार  
 विषय उपरोक्त सेवा सेवेकेंद्रक कय से लॉडिंग की सीलिंग  
 पाईज कय 80=00 एवं मध्यवर्ती कय से खदायोरेत  
 लॉडिंग की सीलिंग पाईज कय 102=96 एवं प्रकार  
 9 का अंश सीलिंग पाईज क. (80+103=183/2  
 =92=00 रु (अनु) निर्धारण कर सब समिति से जिला  
 की तैल खदायो से लॉडिंग हेतु सीलिंग पाईज कय  
 92=00 प्रति एवं मीटर निर्धारित किये जाये हेतु  
 अनुसंधान किया गया।

*[Signature]*  
 16/8/19  
 D. S. Nayak  
 Dy. Director (M.A.)  
 Raigarh.

*[Signature]*  
 16/8/19  
 Sambit Mishra  
 Assistant Collector  
 Raigarh

*[Signature]*  
 16/8/19

*[Signature]*  
 16/8/19  
 (Hiten Kumar Singh)  
 SDM Sarangpur

*[Signature]*  
 16/08/19

*[Signature]*  
 16/08/19

*[Signature]*  
 SDCCRES  
 Raigarh

*[Signature]*  
 AE, CEGB

*[Signature]*  
 16/8/19  
 BSNAIL  
 S. D. P. D. R. G. H.  
 16/8/19